UPGK010023852026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट,

(महिलाओं के विरुद्ध अपराध), गोरखपुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1019/2026

प्रमोद कुमार निषाद पुत्र रामा निषाद, उम्र- 26 वर्ष, निवासी ग्राम- जैनपुर, टोला- मीरगंज, थाना- गुलरिहा, जिला- गोरखपुर। .... आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .... विपक्षी।

मुकदमा अपराध संख्या-102/2026

धारा- 69,352,351(3),115(2),89 बी०एन०एस०

थाना- चिलुआताल, जनपद- गोरखपुर।

01- प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक/अभियुक्त प्रमोद कुमार निषाद द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 102/2026, अन्तर्गत धारा- 69,352,351(3),115(2),89 बी०एन०एस०, थाना- चिलुआताल, जनपद- गोरखपुर के प्रकरण में अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना-पत्र के साथ **प्रमोद कुमार निषाद** का शपथ पत्र संलग्न किया गया है। जिसमें इस आशय का कथन किया गया है कि यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लम्बित नहीं है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान मामले की पीड़िता (Victim) की पहचान गुप्त रखने के उद्देश्य से जहां भी पीड़िता का नाम आया है, वहां उसे इस अग्रिम जमानत आदेश में मात्र "पीड़िता" शब्द से संबोधित किया गया है।

02- अभियोजन का संक्षिप्त कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा (पीड़िता) पुत्री राजू मौर्या के पति राजू विश्वकर्मा से गोरखपुर दीवानी न्यायालय में तलाक का मुकदमा चल रहा है। उसको जीवन-यापन करने के लिए मंडल कम्पनी राजेन्द्र नगर में काम करती थी। काम के दौरान ही उसका प्रमोद निषाद से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद से ही उक्त प्रमोद निषाद उसको जाल में फंसाकर उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर व शादी करने का हवाला देकर उससे जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरूद्ध शारीरिक सम्बन्ध बनाता था और शारीरिक सम्बन्ध बनाने के दौरान ही एक पुत्री वामिका पैदा हुई। जिसकी उम्र दो वर्ष है। उसके बाद जबरदस्ती सम्बन्ध बनाने से उसको मार-पीटकर जबरदस्ती दो बार गर्भपात भी करा दिये। उक्त प्रमोद निषाद एक मनबढ़ व आपराधिक व अय्यांश किस्म का व्यक्ति है और प्रमोद निषाद आए दिन शराब पीकर उसको बुरी तरह मारते-पीटते है। अब वह दूसरी औरत रखेगा। जिसका साथ दूसरी दोनों औरतें अनीता साहनी जिसका मोबाईल नम्बर 6394713399 है और आशा यादव जिसका मोबाईल नम्बर 9305782731 और उक्त अनीता साहनी व आशा यादव उसको आए दिन गाली-गुप्ता व उसे व उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी देती रहती है। दिनांक 22.01.2026 को रात नौ बजे उक्त प्रमोद निषाद, अनीता साहनी व आशा यादव, हेवान्ती निषाद व उनकी बहन

उसको बुरी तरह लात, जूता, चप्पल से मारे-पीटे और उसकी नादान बच्ची को भी गला दबाकर मारने की कोशिश किये और उसका जबरदस्ती जेवरात छीन लिये और मार-पीटकर जबरदस्ती घर से निकाल दिया। वह किसी तरह अपना व अपनी बच्ची का जान बचाकर अपने घर चली आयी। उपरोक्त लोग उसकी व उसकी बच्ची की कभी भी हत्या करवा सकते हैं।

03- आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, मामले में फर्जी फंसाया गया है। आवेदक माडल कम्पनी बरगदवा गोरखपुर में नौकरी करता है। वादिनी मुकदमा एक परिपक्व महिला और दो बच्चो की मां है। इसका बड़ा पुत्र नौ वर्ष का व छोटा पुत्र दो वर्ष का है। यह बात अपने पति राजू के खिलाफ तलाक के दावे में याचिका संख्या- 1623/2025 में वादिनी मुकदमा के द्वारा कहा गया है। याचिका की कापी संलग्न प्रार्थना-पत्र है। माडल कम्पनी में इसका आना-जाना था और कहीं से टेलीफोन नम्बर प्राप्त कर मेरे पास टेलीफोन किया तथा विवाह का प्रस्ताव रखा, जब मैंने मना किया तो वादिनी मुकदमा ने मेरे खिलाफ प्रार्थना-पत्र दे दिया। जब स्थानीय पुलिस को घटना की सच्चाई की जानकारी हुई तो एक सुलहनामा लिखवाकर मामले को समाप्त कर दिया गया। घटना दिनांक 17.02.2026 को थाना- गुलरिहा क्षेत्र की कही जाती है, जबकि रपट थाना- चिलुआताल में दर्ज हुआ है। वादिनी मुकदमा के अनुसार वादिनी मुकदमा का अपने पति से तलाक चल रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस तथ्य को उसने छिपा लिया है कि वह दो बच्चों की मां है। आवेदक के उपर जोर जबरदस्ती करने का आरोप है। जो प्रथम दृष्टया आधारविहीन है। वादिनी मुकदमा मुझसे उम्र में लगभग दस साल बड़ी है। एफ०आई०आर० में लिखी बातों के अनुसार घटनास्थल गुलरिहा थाना हो सकता है। वादिनी मुकदमा एक विवाहित महिला है और दो बच्चों की मां है, इस तथ्य को छिपाया गया है तथा पूर्व में दिये गये प्रार्थना-पत्र पर सुलह हुआ है। जिसमें मात्र टेलीफोनिक वार्ता का आरोप है। इस तरह वादिनी मुकदमा एक षडयंत्र के तहत कानून का गलत दुरूपयोग करके आवेदक को जाल में फंसाकर धनादोहन करने की इच्छुक है। प्रस्तुत मामला अग्रिम जमानत के क्षेत्राधिकार में है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

04- सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपने तर्क में कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया तथा पीड़िता के साथ मार-पीट कर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी। अभियुक्त द्वारा पीड़िता की इच्छा के विरूद्ध उसका गर्भपात भी किया गया है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने की याचना की है।

05- मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस को सुना तथा संबंधित केस डायरी का अवलोकन किया।

06- आवेदक/अभियुक्त के अग्रिम जमानत के निस्तारण से पूर्व निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किया जाना आवश्यक है-

(i) अभियोग की प्रकृति और गंभीरता;

(ii) आवेदक का पूर्ववृत, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर पहले ही कारावास भुगत चुका है;

(iii) न्याय से भागने की आवेदकगण की संभाव्यता; और

(iv) जहां आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो;

07- केस डायरी व अन्य प्रपत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। आवेदक/अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसके द्वारा पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया तथा उसको मारपीट कर जबरदस्ती दो बार गरभपात भी कराया गया तथा मार-पीट कर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी। पीड़िता के द्वारा धारा 180 बी०एन०एस०एस० के कथन में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए आवेदक/अभियुक्त की घटना में संलिप्तता के सम्बन्ध में तथ्य प्रकट किए गए हैं। पीड़िता के द्वारा धारा 183 बी०एन० एस०एस० के कथन में बताया गया है कि "मैं शादीशुदा हूं, पति से मारपीट होती थी। इसी दौरान प्रमोद निषाद पुत्र रामा निषाद से मुलाकात हुई। इन्होंने कहा तुम्हें अच्छा से रखेंगे, तुमसे शादी करेंगे। ये कहकर मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाया। मैं 2022 से प्रमोद के सम्पर्क में हूं। मेरी प्रमोद से एक बेटी एक साल की है। बेटी होने के बाद उसने मुझसे शादी करने को मना कर दिया। कल किसी और से शादी करने जा रहा है। प्रमोद की मां हेवन्ती, अनीता ने मेरे साथ मारपीट की जान से मारने की धमकी दी।" अग्रिम जमानत पर रिहा होने के उपरान्त अभियुक्त के भागने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से प्रकट है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता को विवाह करने का वचन देकर, उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना, उसके साथ मैथुन कारित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गये आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। अतः अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को देखते हुए बिना गुण-दोष पर विचार करते हुए आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है एवं अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **प्रमोद कुमार निषाद** का अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र मुकदमा अपराध संख्या 102/2026 अन्तर्गत धारा- 69,352,351(3),115(2),89 बी०एन०एस०, थाना- चिलुआताल, जनपद- गोरखपुर के अभियोग में **निरस्त** किया जाता है।

दिनांकः 23.03.2026

(मनोज कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0,
(महिलाओं के विरुद्ध अपराध),गोरखपुर।
J.O.Code- UP3835

Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 2026.03.23 17:24:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court